



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 131-2020/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, SEPTEMBER 11, 2020 (BHADRA 20, 1942 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 11 सितंबर, 2020

संख्या 74/जीएसटी-2.- हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा माल और सेवा कर नियम, 2017 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

- (1) ये नियम हरियाणा माल और सेवा कर (ग्यारहवां संशोधन) नियम, 2020 कहे जा सकते हैं।
(2) अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये नियम 20 अगस्त, 2020 से लागू हुए समझे जाएंगे।
- हरियाणा माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिन्हें, इसमें, इसके पश्चात्, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 8 में, उपनियम 4(क) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा प्रथम अप्रैल, 2020 से प्रतिस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात्:-

"(4क) जहां कोई आवेदक, धारा 25 की उपधारा (6घ) के अधीन अधिसूचित किसी व्यक्ति से भिन्न, आधार संख्या के अधिप्रमाणन का चयन करता है, तो वह उपनियम (4) के अधीन आवेदन को प्रस्तुत करते समय, 21 अगस्त, 2020 से प्रभावी, उसकी आधार संख्या का अधिप्रमाणन किया जायेगा और ऐसे मामलों में आवेदन को प्रस्तुत करने की तिथि, आधार संख्या के अधिप्रमाणन या उपनियम (4) के अधीन प्रारूप जीएसटी आरईजी-01 के भाग ख में आवेदन के प्रस्तुत करने से पंद्रह दिन, जो भी पहले हो, की तिथि होगी।"

- उक्त नियमों में, नियम 9 में,
(i) उपनियम (1) में, विद्यमान परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक प्रतिस्थापित किए जाएंगे, तथा 21 अगस्त, 2020 से प्रतिस्थापित किए गए समझे जाएंगे, अर्थात्:-

"परंतु जहां कोई व्यक्ति, धारा 25 की उपधारा (6घ) के अधीन अधिसूचित व्यक्ति से भिन्न, नियम 8 के उपनियम (4क) में यथा विनिर्दिष्ट आधार संख्या का अधिप्रमाणन करवाने में असफल रहता है या आधार संख्या के अधिप्रमाणन का चयन नहीं करता है, तो रजिस्ट्रीकरण, नियम 25 के अंतर्गत उपबंधित रीति में, उक्त व्यक्ति की उपस्थिति में, कारबार के स्थान केवल भौतिक सत्यापन के बाद प्रदान किया जायेगा:

परंतु यह और कि समुचित अधिकारी, अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से और किसी अधिकारी जो संयुक्त आयुक्त की पदवी से नीचे का न हो, के अनुमोदन के बाद, कारबार के स्थान के भौतिक सत्यापन के स्थान पर, ऐसे दस्तावेजों जिन्हें वह ठीक समझे का सत्यापन कर सकता है;

(1907)

- (ii) उपनियम (2) में,—
 (क) अंत में विद्यमान “।” चिह्न के स्थान पर, निम्नलिखित “:” चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा; तथा
 (ख) व्याख्या से पूर्व, निम्नलिखित परंतुक रखा जायेगा तथा 21 अगस्त, 2020 से रखा गया समझा जाएगा, अर्थात्:—
 “परंतु कि जहां कोई व्यक्ति, धारा 25 की उपधारा (6घ) के अधीन अधिसूचित किसी व्यक्ति से भिन्न, नियम 8 के उपनियम (4क) में यथाविनिर्दिष्ट आधार संख्या का अधिप्रमाणन करवाने में असफल रहता है या आधार संख्या के अधिप्रमाणन का चयन नहीं करता है, तो प्ररूप जीएसटी आरईजी-03 में नोटिस, आवेदन को प्रस्तुत करने की तिथि से इक्कीस दिन के अपश्चात् जारी किया जा सकता है।”;
- (iii) उपनियम (4) में, क्रमशः “देगा” तथा “करेगा” शब्दों के स्थान पर, “कर सकता है” शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे तथा 21 अगस्त, 2020 से प्रतिस्थापित किए गए समझे जाएंगे;
- (iv) उपनियम (5) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम प्रतिस्थापित किया जायेगा तथा 21 अगस्त, 2020 से प्रतिस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात्:—
 “(5) यदि समुचित अधिकारी,—
 (क) ऐसे मामले में जहां कोई व्यक्ति आधार संख्या का सफलतापूर्वक अधिप्रमाणन करवाता है या वह धारा 25 की उपधारा (6घ) के अधीन अधिसूचित है, आवेदन को प्रस्तुत करने की तिथि से तीन कार्य-दिवस के भीतर; या
 (ख) ऐसे मामले में जहां कोई व्यक्ति, धारा 25 की उपधारा 6(घ) के अधीन अधिसूचित किसी व्यक्ति से भिन्न है, नियम 8 के उपनियम (4क) में यथा विनिर्दिष्ट आधार संख्या का अधिप्रमाणन करवाने में असफल रहता है, तो उपनियम (2) के परंतुक के अधीन विहित अवधि के भीतर; या
 (ग) ऐसे मामले में जहां किसी व्यक्ति ने आधार संख्या के अधिप्रमाणन का चयन नहीं किया है, आवेदन को प्रस्तुत करने की तिथि से इक्कीस दिन की अवधि के भीतर; या
 (घ) उपनियम (2) के अधीन, आवेदक के द्वारा प्रस्तुत किये गये स्पष्टीकरण, सूचना या दस्तावेजों की प्राप्ति की तिथि से सात कार्य-दिवस के भीतर,
 कोई कार्यवाही करने में असफल रहता है,
 तो रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने के लिए आवेदन अनुमोदित समझा जाएगा।”।
4. उक्त नियमों में, नियम 25 में, “असफल होने के कारण” शब्दों के बाद, “या आधार के अधिप्रमाणन के लिए चयन न किये जाने के कारण” शब्द रखे जाएंगे तथा 21 अगस्त, 2020 से रखे गए समझे जाएंगे।

अनुराग रस्तोगी,
 प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
 आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 11th September, 2020

No. 74/GST-2.— In exercise of the powers conferred by section 164 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, hereby makes the following rules further to amend the Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017, namely: -

- (1) These rules may be called the Haryana Goods and Services Tax (Eleventh Amendment) Rules, 2020.
 (2) Save as otherwise provided, they shall be deemed to have come into force with effect from the 20th August, 2020.
- In the Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 8, for sub-rule (4A), the following sub-rule shall be substituted with effect from 01st April, 2020, namely:—
 “(4A) Where an applicant, other than a person notified under Sub-section (6D) of Section 25, opts for authentication of Aadhaar number, he shall, while submitting the application under sub-rule(4), with effect from 21st August, 2020, undergo authentication of Aadhaar number and the date of submission of the application in such cases shall be the date of authentication of the Aadhaar number, or fifteen days from the submission of the application in **Part B of FORM GST REG-01** under sub-rule (4), whichever is earlier.”.

3. In the said rules, in rule 9, with effect from 21st August, 2020,-

(i) in sub-rule (1), for the proviso, the following provisos shall be substituted, namely:-

“Provided that where a person, other than a person notified under Sub-section (6D) of Section 25, fails to undergo authentication of Aadhaar number as specified in sub-rule (4A) of rule 8 or does not opt for authentication of Aadhaar number, the registration shall be granted only after physical verification of the place of business in the presence of the said person, in the manner provided under rule 25:

Provided further that the proper officer may, for reasons to be recorded in writing and with the approval of an officer not below the rank of Joint Commissioner, in lieu of the physical verification of the place of business, carry out the verification of such documents as he may deem fit.”;

(ii) in sub-rule (2), before the Explanation, the following proviso shall be inserted, namely: -

“Provided that where a person, other than a person notified under sub-section (6D) of section 25, fails to undergo authentication of Aadhaar number as specified in sub-rule (4A) of rule 8 or does not opt for authentication of Aadhaar number, the notice in **FORM GST REG-03** may be issued not later than twenty one days from the date of submission of the application.”;

(iii) in sub-rule (4), for the word, “shall”, the word “may” shall be substituted;

(iv) for sub-rule (5), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(5) If the proper officer fails to take any action, -

(a) within a period of three working days from the date of submission of the application in cases where a person successfully undergoes authentication of Aadhaar number or is notified under Sub-section (6D) of Section 25; or

(b) within the time period prescribed under the proviso to sub-rule (2), in cases where a person, other than a person notified under sub-section (6D) of section 25, fails to undergo authentication of Aadhaar number as specified in sub-rule (4A) of rule 8; or

(c) within a period of twenty one days from the date of submission of the application in cases where a person does not opt for authentication of Aadhaar number; or

(d) within a period of seven working days from the date of the receipt of the clarification, information or documents furnished by the applicant under sub-rule (2),

the application for grant of registration shall be deemed to have been approved.”.

4. In the said rules, in rule 25, with effect from 21st August, 2020, after the words “failure of Aadhaar authentication”, the words “or due to not opting for Aadhaar authentication” shall be inserted.

ANURAG RASTOGI,
Principal Secretary to Government, Haryana,
Excise and Taxation Department.